2024 का विधेयक संख्यांक 98

[दि डिजास्टर मेनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 हैं ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम, कहा गया है) की धारा 2 में,— 2005 का 53

(i) खंड (घ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "मानवकृत कारणों" पद के अंतर्गत विषय या स्थिति से संबंधित कोई विधि और आदेश या विषय या स्थिति से संबंधित विधि और आदेश से उद्भूत कोई स्थिति नहीं आती है :";

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घक) "आपदा डाटाबेस" से डाटाबेस अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत आपदा निर्धारण, निधि आबंटन ब्यौरे, व्यय, तैयारी और शमन योजना, जोखिम के प्रकार और कठोरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर और ऐसी नीति के अनुसार, ऐसे अन्य सुसंगत विषय आते हैं जो केन्द्रीय सरकार दवारा अवधारित की जाए :';

(iii) खंड (ङ) में,—

(क) उपखंड (viii) में, "पुनर्वास और पुनर्निर्माण" शब्दों के स्थान पर "पुनर्वास, प्रत्युद्धरण और पुनर्निर्माण" शब्द रखें जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा प्रबंधन" पद में "आपदा जोखिम निम्नीकरण" सम्मिलित है अर्थात् निम्नलिखित के माध्यम से आपदाओं के आकस्मिक कारणों का विश्लेषण और प्रबंध करने के लिए सुव्यवस्थित, प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने की पद्धति है—

(i) परिसंकटों के प्रति निम्नीकृत आशंका ;

(ii) जन, संपत्ति, अवसंरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन की कम भेध्यता ; और

(iii) प्रतिकूल दशाओं के लिए प्रबंध और प्रतिक्रिया हेतु उन्नत तैयारियां, लचीलापन और क्षमता ;';

(iv) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "आपदा जोखिम" से जीवन की संभाव्य हानि, क्षति, संपत्ति, अवसंरचना और आस्तियों को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना, आर्थिक और सामाजिक विध्वंस या पर्यावरण अपकर्षण अभिप्रेत है जो परिसंकट, आशंका, भेध्यता और क्षमता के कृत्य के रूप में अधिसंभावित रूप से अवधारित विनिर्दिष्ट अवधि में किसी प्रणाली, सोसाइटी या समुदाय में हो सकती है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना" पद भौतिक संरचना, सुविधाएं, नेटवर्क प्रणालियां और आस्तियों को निर्दिष्ट करता है, जो ऐसी सेवाएं प्रदान, करती है जो किसी समुदाय या सोसाइटी को सामाजिक, पारिस्थितिकी और आर्थिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हो :';

(v) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(छक) "निष्क्रमण" से किसी परिसंकटमय दशा के घटित होने से पहले, दौरान या पश्चात् लोगों या आस्तियों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना अभिप्रेत है ;

(छख) "आंशका में डालना" से परिसंकट-प्रवण क्षेत्रों में स्थित लोगों, भवनों, अवसंरचना, उत्पादन क्षमता और अन्य मूर्त मानव आस्तियों, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "परिसंकट-प्रवण क्षेत्रों" पद से वे स्थान अभिप्रेत हैं जहां विभिन्न परिसंकट होना या घटित होने की संभावना ज्ञात है ;

(छग) "परिसंकट" से आपदा से संबंधित प्रक्रिया या परिघटना अभिप्रेत है जिससे—

(क) जीवन की हानि हो ;

(ख) क्षति या अन्य स्वास्थ्य समाघात हो ;

(ग) संपत्ति, भवनों और अवसंरचना को नुकसान हो ;

(घ) सामाजिक और आर्थिक विध्वंस हो ; या

(ङ) पर्यावरण अपकर्षण हो ;

(छघ) "उच्च स्तरीय समिति" से धारा 8ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है :';

(vi) खंड (ज) में "जिला परिषद" शब्दों के पश्चात् "या स्वशासी जिला परिषदें" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगें ;

(vii) खंड (झ) में "स्थिति" शब्द के पश्चात् "जिसके अंतर्गत आपदा-लचीला अवसंरचना" के लिए उपबंध करना भी है शब्द अंतःस्थापित किए जाएगें;

(viii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ञक) "राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति" से धारा 8क के अधीन गठित समिति अभिप्रेत हैं ;' ;

(ix) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ठक) "राष्ट्रीय नीति" से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों का विवरण और कार्रवाईयों का व्यापक पाठ्यक्रम

अभिप्रेत है इसके अनुसरण में,—

(क) आपदा जोखिम और हानि को कम करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य ;

(ख) उन्नत तैयारियां करना ; और

(ग) आपदा से लचीला प्रत्युद्धरण सुनिश्चित करना ;';

(x) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ड) "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का अनुमान लगाने, प्रतिक्रिया देने और प्रत्युद्धरण के लिए सरकार, प्रतिक्रिया और प्रत्युद्धरण संगठन, समुदाय और व्यक्ति का ज्ञान और क्षमता अभिप्रेत है; ';

(xi) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ढक) "निवारण" से आपदा के संभावी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए क्रियाकलाप और उपाय अभिप्रेत है ;' ;

(xii) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ण) "पुनर्निमाण" से किसी आपदा के प्रभावित समुदाय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना, सेवा, भवन और सुविधा का पुनर्निमाण और पुनःस्थापन अभिप्रेत है ;

(णक) "प्रत्युद्धरण" से आपदा प्रभावित समुदाय के आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आस्तियों, प्रणाली और क्रियाकलाप का पुनःस्थापन और उनमें सुधार अभिप्रेत है ;

(णख) "पुनर्वास" से किसी आपदा से प्रभावित समुदाय के कार्यकरण के लिए मूलभूत सेवा, सुविधा और क्षमता का पुनः स्थापन अभिप्रेत है ;

(णग) "लचीलापन" से किसी परिसंकट के प्रभाव के समय पर तथा दक्ष रीति से सामना करने, उसे आत्मसात करने, प्रतिक्रिया देने और उसे संभालने के लिए परिसंकटों से प्रभावित किसी प्रणाली, समुदाय या समाज की योग्यता अभिप्रेत है और "लचीला" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;';

(xiii) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(तक) "प्रतिक्रिया" से जीवनरक्षा करने, क्षति और स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की आधारभूत निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपदा से पहले, उसके दौरान या पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से की गई कार्रवाईयां अभिप्रेत है ;';

(xiv) खंड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(प) "नगर प्राधिकरण" से धारा 41(क) की उपधारा (1) के अधीन गठित नगर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(फ) "नगर योजना से" धारा 41क की उपधारा (4) के अधीन नगर प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन के लिए योजना अभिप्रेत है ;

(ब) "भेध्यता" से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या ऐसी प्रक्रिया द्वारा, जिससे परिसंकट से प्रभावित कोई व्यक्ति, समुदाय, आस्ति अवसंरचना या प्रणाली की सुप्रभाव्यता में वृद्दि हो, अवधारित शर्तें अभिप्रेत है ।"।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के कार्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष द्वारा अभिहित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।"।

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

"5. (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, जो इसके कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण, विशेषज्ञों और परामर्शियों को भी नियुक्त कर सकेगा, जो इसके कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, विशेषज्ञों और परामर्शियों के संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) राष्ट्रीय योजना की तैयारी और अनुमोदन का समन्वय कर सकेगा ;";

(ii) खंड (झ) में "ऐसे अन्य उपाय" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों का तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएगें :—

(iii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ट) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा ;

(ठ) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ;

(ड) राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को इसके द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उनकी आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने

के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा ;

(ढ) न्यूनीकरण, तैयारी और प्रत्युद्धरण तथा पुर्ननिर्माण उपायों की बाबत, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों को आवश्यक सलाह और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा ;

(ण) आवधिक रूप से देश में आपदा जोखिमों जिसके अंतर्गत आपातिक आपदा जोखिम भी है की संपूर्ण श्रेणी का अवलोकन करना और उनके शमन के लिए अद्यतन मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "आपातिक आपदा जोखिम" पद उन आपदाओं के जोखिमों को निर्दिष्ट करता है जो कि घटित नहीं हुई है, किंतु भविष्य में तीव्र जलवायु घटनाओं और अन्य कारकों के कारण जो राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, घटित हो सकती है;

(त) अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मियों के विभिन्न स्तरों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना बना सकेगा और उसका समन्वय कर सकेगा ;

(थ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों और नगर प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा या सलाह दे सकेगा ;

(द) आपदा प्रबंधन के संबंध में साधारण शिक्षा और जागरूकता को प्रोन्नत कर सकेगा ;

(ध) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन उपायों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन की मानीटरी कर सकेगा ;

(न) राष्ट्रीय योजना और इसके द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार चक्रानुक्रम आधार पर प्रत्येक राज्य के आपदा तैयारी निर्धारण का भार ले सकेगा ;

(प) किसी राज्य में गुरुतर आपदा के परिणामस्वरूप राज्य की तैयारी की पश्च आपदा संपरीक्षा और राज्य के मोचन वाले क्रियाकलापों का भार ले सकेगा ;

(फ) ऐसी नीति के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, राष्ट्रीय आपदा डाटा बेस का सृजन कर सकेगा ।

(ब) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे,—

(i) राहत कैंपों में आश्रयस्थल खाद्य, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं ;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबंध ;

(iii) जीवन की हानि मद्दे अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मद्दे सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता ; और

(iv) ऐसी अन्य राहतें जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उचित समझे ।'।

नई धारा 8क और धारा 8ख का अंतःस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन ।

"8क. (1) आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति होगी और यह मुख्य आपदाओं से निपटने के लिए जिनके गंभीर और राष्ट्रीय प्रभाव हो, नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति में, मंत्रिमंडल सचिव और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

(3) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आंमत्रित कर सकेगा और वह ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

(4) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के पालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।"।

उच्च स्तरीय समिति ।

8ख. (1) आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से पूर्व भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी जो आपदा की दशा में राज्य सरकार को धारा 46 के अधीन यथापरिकल्पित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और धारा 47 के अधीन शमन आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उच्च स्तरीय समिति में अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य के रूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री होंगे ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऱाष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति,—

(क) आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय निकाय के रूप में कार्य कर सकेगी ;

(ख) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगी ;

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी उपायों के संबंध में मानिटर कर सकेगी,

समन्वय कर सकेगी और निदेश दे सकेगी ;

(घ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी, और ऐसी तैयारी में वृद्धि करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक सलाह प्रदान कर सकेगी ;

(ङ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके मोचन के लिए समन्वय कर सकेगी ;

(च) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी ;

(छ) सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या अभिकरण से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या तात्विक संसाधन जो आपातकालीन मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए उसके पास उपलब्ध है, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ज) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकार, कानूनी निकायों, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य व्यक्तियों को सलाह दे सकेगी, सहायता प्रदान कर सकेगी और उनके क्रियाकलापों का समन्वय कर सकेगी ;

(झ) एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति की दशा, निम्नलिखित निदेश जारी करें :—

(i) संबंद्ध राज्यों के बीच समन्वय ;

(ii) संरोधन उपाय जो आवश्यक समझे ;

(iii) बहुराज्यों के बीच आपदा के प्रभावों की मानीटरी और पुर्वानुमान ;

(iv) विशेषीकृत टीम, तात्विक संसाधन और उपस्कर का अभियोजन ;

(v) सार्वजनिक और निजी इकाईयों से आवश्यक संसाधनों और तकनीकी क्षमता की अपेक्षा करना और आपदा के प्रभाव को करने की दिशा में उनको अभिनियोजित करना ;

(vi) पर्याप्त जन जागरूकता उपाय ; और

(vii) संरोधन उपाय द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की सहायता का समन्वय ; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो वह उचित समझे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "संरोधन उपाय" पद से व्यक्ति, समुदाय, जिला, राज्य, बहुराज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई कार्रवाईयां और रणनीतियां अभिप्रेत है जिनका उद्देश्य इसके प्रारंभिक केन्द्रीय क्षेत्र से आपदा के प्रसार को नियत्रिंत करना या धीमा करना है ।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय योजना तैयार करने और अनुमोदन करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य पणधारियों के परामर्श से समन्वय करेगा ।";

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार राष्ट्रीय योजना का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करेगा ।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 का लोप किया जाएगा । धारा 12 और धारा 13 का लोप किया जाना ।

10. मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (2) में,— धारा 18 का संशोधन

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना की तैयारी का समन्वय करेगा और अनुमोदन करेगा ;";

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के अनुसार संबंधित जिला प्राधिकरणों और नगर प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई जिला योजना और नगर योजना का अनुमोदन करेगा ;";

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) आवधिक रूप से राज्य में आपदा जोखिमों जिसके अंतर्गत आपातिक आपदा जोखिम भी है की संपूर्ण श्रेणी का अवलोकन करना और उनके शमन के लिए आवश्यक उपाय करना ;

(ञ) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटर करना ;

(ट) राज्य की सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों और नगर प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना ;

(ठ) आपदाओं के प्ररूपों के संबंध में जिसका राज्य के विभिन्न भाग सहजभेद्य हैं साधारण शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और ऐसे उपाय जो कि ऐसे समुदाय द्वारा आपदा का निवारण करने, शमन करने और ऐसी आपदा के लिए प्रतिक्रिया देने हेतु किया जा सकेगा ;

(ड) जिला प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकरणों और नगर प्राधिकरणों को

उनके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगा या सलाह दे सकेगा ;

(ढ) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करा सकेगा ;

(ण) राज्य में आपदाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगा :

परंतु ऐसे मानक किसी भी दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होंगे ;

(त) राज्य आपदा डेटाबेस का अनुरक्षण कर सकेगा और राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस का इनपुट प्रदान कर सकेगा ।"।

धारा 19 का लोप।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 20, की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) राज्य का पुलिस महानिदेशक, राज्य कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य होगा, पदेन ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 22, की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) में, "और जिला प्राधिकरणों", शब्दों के स्थान पर ", जिला प्राधिकरणों और शहरी प्राधिकरणों" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (झ) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ञ) में, "जिला प्राधिकरणों," शब्दों के पश्चात् "शहरी प्राधिकरणों", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (ट) का लोप किया जाएगा;

(vi) खंड (ड) में "जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "जिला प्राधिकरण, शहरी प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण", शब्द रखे जाएंगे;

(vii) खंड (ढ़) का लोप किया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय योजना तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में, तथा स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, शहरी प्राधिकरणों तथा लोक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से जो राज्य प्राधिकरण उचित समझे, राज्य योजना की तैयारी समन्वित करेगा ।";

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) राज्य योजना, राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।";

(iii) उपधारा (4) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :—

"(क) राज्य के विभिन्न भागों का विभिन्न परिसंकटों को उच्छन्न होना तथा उसके लोगों, आस्तियों, अवसंरचनाओं, जीविका तथा आर्थिक कार्यकलापों की उन परिसंकटों के प्रति भेद्यता ।";

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) राज्य प्राधिकरण, तीन वर्ष में एक बार राज्य योजना का, पुनर्विलोकन करेगा तथा प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार उसे अद्यतन करेगा ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 24 में, खंड (ङ) में, "किसी जिला प्राधिकरण", शब्दों के पश्चात् ", किसी शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में, खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) दो से अनधिक अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें अन्य जिला स्तर अधिकारियों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों तथा सिविल समाज संगठन से लिया जा सकता है ।"।

धारा 31 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) में, "वार्षिक रूप से" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम प्रत्येक दो वर्षों में एक बार या यथावश्यक पूर्वतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) में,—

"(i) खंड (क) में, "कार्यों का समन्वयन करना" शब्दों के स्थान पर, "कार्यों का समन्वयन और मानीटर करना" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जक) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को अधिसूचित करना, जिनके ऊपर विभिन्न परिसंकटों से उद्भूत आपदाओं के संबंध में मानीटरी, पूर्वतर चेतावनी, निवारण, शमन, तैयारी तथा क्षमता निर्माण का उत्तरदायित्व होगा ;"।

धारा 36 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) आपदा प्रबंधन के संबंध में, शमन, तैयारी तथा मोचन योजनाएं, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और कार्मिकों की पहचान तथा प्रशिक्षण को लेखबद्ध करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को सहायता उपबंध करना ;"।

(ii) खंड (छ) में, उपखंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(vi) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत प्रचालनों का संपादन करना;

(vii) किसी आपदा से हुई क्षति का निर्धारण करना ; और

(viii) पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण का संपादन करना ;"।

धारा 38 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) "जिला प्राधिकरणों" शब्दों के पश्चात्, ",शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "स्थानीय प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "स्थानीय प्राधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "जिला प्राधिकरणों", शब्दों के स्थान पर "जिला प्राधिकरणों तथा शहरी प्राधिकरणों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) में, "तथा जिला योजनाओं" शब्दों के स्थान पर "जिला योजनाओं तथा शहरी योजनाओं", शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (झ) में, "और जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, ", जिला प्राधिकरण और शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(झक) राज्य विनिर्दिष्ट परिसंकट-वार नोडल विभागों को अधिसूचित करना, जिनके ऊपर, उन राज्य विनिर्दिष्ट परिसंकटों से उद्भूत आपदाओं से सबंधित मानीटरी, पूर्वतर चेतावनी, निवारण, शमन, तैयारी तथा क्षमता निर्माण का उत्तरदायित्व है ;";

(vi) खंड (ञ) में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, ", जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(vii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) किसी आपदा के पीड़ितों को पुन:निरोग तथा पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना ; और"।

धारा 39 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) खंड (च) में, "और जिला प्राधिकरणों" शब्दों के स्थान पर ", जिला प्राधिकरणों और शहरी प्राधिकरणों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (छ) में, "जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना", शब्दों के पश्चात् "तथा शहरी, प्राधिकारियों द्वारा शहरी योजना" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ज) में, ", जिला प्राधिकरणों" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरणों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

धारा 41 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 32 में यथानिर्दिष्ट आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना ।"।

23. मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 41क का अन्तःस्थापन ।

"41क (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपने राज्यों की राजधानी के लिए तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, के सिवाय सभी शहरों जिनके नगर निगम हैं, के लिए पृथक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी । शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित शहरी प्राधिकरण में, निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) नगरपालिका आयुक्त - अध्यक्ष, पदेन;

(ii) संबद्ध जिला के जिला कलक्टर - उपाध्यक्ष, पदेन; और

(iii) ऐसे अन्य सदस्य, जिनके वेतन तथा भत्ते ऐसे हों जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं - सदस्य ।

(3) शहरी प्राधिकरण का जिले के ऐसे स्थान पर पृथक सचिवालय हो सकेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

(4) शहरी योजना की तैयारी के लिए शहरी प्राधिकरण उत्तरदायी होगा, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(5) शहरी प्राधिकरण, शहरी योजना के कार्यान्वयन के समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) शहरी प्राधिकरण से संबंधित अन्य कृत्य तथा शक्तियां और ऐसे अन्य विषय, ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नगर निगम" पद से संविधान के अनुच्छेद 243थ के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट नगर निगम अभिप्रेत है ।" ।

24. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"43. (1) केन्द्रीय सरकार, अपने कार्यों को करवाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को ऐसे अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों तथा सलाहकारों, जो आवश्यक समझे, का उपबंध करेगी । राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा सलाहकार ।

(2) राष्ट्रीय संस्थान, धारा 42 की उपधारा (9) में यथाउपबंधित ऐसे कृत्यों के पालन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सन्नियमों के अनुसार विशेषज्ञों की भर्ती कर सकेगी ।

(3) अधिकारियों या कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाए ।"।

25. मूल अधिनियम के अध्याय 8 में शीर्ष के स्थान पर, "आपदा मोचन बल" शीर्ष रखा जाएगा । अध्याय 8 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 44 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 44क का अंतःस्थापन ।

राज्य आपदा मोचन बल ।

"44क. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञ मोचन के प्रयोजन के लिए एक राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आपदा मोचन बल का गठन, ऐसे बल के सदस्यों की सेवा के ऐसे कृत्यों तथा निबंधनों और शर्तों सहित, ऐसी रीति में किया जाएगा, जो संबद्ध राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 46 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(i) उपधारा (1) में, "किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए" शब्दों के स्थान पर, "आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन गठित निधि, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार लागू होगी ।"।

धारा 47 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 47 में,—

(i) उपधारा (1) में, "आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से परियोजनाओं के लिए" शब्दों के स्थान पर "आपदा की शमन आवश्यकताओं से निपटने के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन गठित निधि, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार लागू होगी ।" ।

धारा 48 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 48 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि स्थापित निधि—

(i) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन क्रमश: राज्य कार्यकारिणी समिति तथा राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार लागू है;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ख) तथा खंड (घ) के अधीन जिला प्राधिकरणों को उपलब्ध है ।"।

धारा 50 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(i) प्रारंभिक भाग में "अथवा जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 51 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(i) खंड (क) में, "अथवा जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 52 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 52 में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर ", जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 56 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा उपधारा (1) के इस तरह संख्यांकित होने के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्रवाई के होते हुए भी, यह राज्य सरकार के लिए स्वयं ही या केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों पर आपदा के दौरान, सुसंगत नियमों के अधीन, किसी अधिकारी के विरुद्ध जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या करने से इंकार करता है या स्वयं को उससे अवज्ञा या अवहेलना के आधार पर अलग कर लेता है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों से असंगत नहीं होगी ।"।

धारा 59 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 59 में, "धारा 56" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 56 की उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 60 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 60 के खंड (क) और खंड (ख) में, "जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्, ", शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 60क का अंतःस्थापन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की परिसंकट की प्रकृति के संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति तथा इसके उल्लंघन के लिए दंड ।

"60क. (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिसंकट की प्रकृति के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्रवाई करने या कोई कार्रवाई न करने से रोक देने की अपेक्षा करती है, यथास्थिति, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में आपदा का प्रभाव कम करने के लिए अपेक्षित है ।

(2) इस धारा के अधीन जारी कोई अधिसूचना, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या छह मास, जो भी पूर्वतर हो, के लिए वैध होगी ।

(3) जो कोई, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति के संदेय का दायी होगा :

परंतु यह कि इस उपधारा में निर्दिष्ट शास्ति दस हजार रूपए से अनधिक होगी ।"।

धारा 61 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 61 में, "प्रतिपूर्ति और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 63 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 63 में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 64 में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 65 में,—

(i) उपधारा (1) के प्रारंभिक भाग में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "संसाधन" के अंतर्गत मानव और सामग्री संसाधन तथा उपस्कर है ।"।

धारा 67 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 67 में, "या कोई जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या कोई शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 68 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 68 में दोनों स्थान पर आने वाले, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "या जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 69 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 69 में, "राज्य कार्यकारिणी समिति" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 71 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 71 में, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर ", जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 73 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 73 में दोनों स्थान पर आने वाले, "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 74 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 74 में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर ", जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 75 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, विशेषज्ञों तथा परामर्शियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;";

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) धारा 8क की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग में तथा उसके कृत्यों के निर्वहन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया ।"।

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;"।

48. मूल अधिनियम की धारा 76 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 76क का अंतःस्थापन ।

"76क. धारा 76 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 76 के अधीन बनाए गए विनियमों से भिन्न विनियमों को बना सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के साथ संगत हो ।"। राष्ट्रीय प्राधिकरण की विनियमों को बनाने की शक्ति।

49. मूल अधिनियम की धारा 77 में, "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" शब्दों के पश्चात् "और राष्ट्रीय प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 77 का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 78 का संशोधन ।

"(चक) धारा 41क की उपधारा (6) के अधीन शहरी प्राधिकरण से संबंधित शक्तियां, कृत्य तथा अन्य विषय ;

(चख) धारा 44क की उपधारा (2) के अधीन राज्य आपदा मोचन बल के गठन की रीति, उसके कृत्य तथा ऐसे बल के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;"।

51. मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (1) और तद्धीन उपबंधों के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 79 का संशोधन ।

"(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित अनुसार यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम) आपदाओं के और उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों के प्रभावशाली प्रबंधन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम का मुख्य प्रयोजन आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की मानीटरी करने के लिए आपदाओं के प्रभावों का निवारण करने और उन्हें कम करने के लिए सरकार के विभिन्न घटकों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए और किसी आपदा या आपदा का खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति में समग्र, समन्वयित और तुरंत कार्रवाई करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों की स्थापना करना था ।

3. उक्त प्रयोजन को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कतिपय प्राधिकरणों और समितियों की स्थापना की गई थी । इसके अतिरिक्त, अधिनियम भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को प्रगणित करता है और अधिदेश देता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में नोडल उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा ।

4. पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने की केन्द्रीय सरकार के सतत् प्रयासों, पूर्व आपदाओं से मिली सीख और अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों के साथ परामर्श से पुनर्विलोकन किया गया है ।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विधेयक अर्थात् आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में अधिनियम के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जो अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और समाभिरूपता लाना ;

(ii) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करना ;

(iii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दक्ष कार्यकरण को सुदृढ़ करना ;

(iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यपालक समिति और राज्य कार्यपालक समिति के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए सशक्त करना ;

(v) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटा बेस सृजित करने का उपबंध करना ;

(vi) राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों, जिनमें नगर निगम हैं, के लिए

"शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के गठन का उपबंध करना ; और

(vii) राज्य सरकार द्वारा "राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल" के गठन का उपबंध करना ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करता है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
30 जुलाई, 2024

अमित शाह

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2 कुछ परिभाषाओं का प्रतिस्थापन तथा उपांतरण करता है और धारा 2 में नई परिभाषा सम्मिलित करता है, जैसे कि आपदा जोखिम, निष्क्रमण, अभिदर्शन, पुनःनिरोग, पुनर्वास, प्रति-स्कंदन, शहरी प्राधिकरण आदि ।

विधेयक का खंड 3 धारा 3 में नई उपधारा (3क) राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को प्राधिकरण के दैनिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

विधेयक का खंड 4 अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, सलाहाकारों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति से संबंधित धारा 5 का प्रतिस्थापन करता है और केंद्रीय सरकार को उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों के साथ नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 5 राष्ट्रीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय योजना की तैयारी के समन्वयन के कार्य को समनुदेशित करने के लिए धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) को प्रतिस्थापित करता है ; धारा 2 की उपधारा 2 के खंड (i) को उपांतरित करता है जिससे इस खंड के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले उपायों में और स्पष्टता लाई जा सके ; और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ट) से खंड (ब) में नए खंडों का अंतःस्थापन करता है जिससे राष्ट्रीय प्राधिकरण की भूमिका में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्यों से संबंधित नीति, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के समनुदेशन द्वारा और राष्ट्रीय प्राधिकरण को नए कार्य समनुदेशित करके, और स्पष्टता लाई जा सके ।

विधेयक का खंड 6 धारा 8 में नई उपधारा 8क का अन्तःस्थापन करता है जिससे कि अधिनियम के अधीन की मुख्य आपदाओं से निपटने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नोडल निकाय को लाया जा सके तथा नई धारा 8ख को अन्तःस्थापित करके वित्तीय सहायता के अनुमोदन के लिए अधिनियम के अधीन विद्यमान उच्च स्तरीय समिति को लाया जा सके ।

विधेयक का खंड 7 धारा 10 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन करता है जिससे, समन्वयन तथा मोचन से संबंधित कार्यों को प्रतिधारित करने के द्वारा और एक राज्य से अधिक में प्रभावित आपदा या आशंकित आपदा की स्थिति की दशा में उसे नए कार्य समनुदेशित करने के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की भूमिका में और स्पष्टता लाई जा सके ।

विधेयक का खंड 8 धारा 11 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय योजना की तैयारी के साथ समन्वय करेगा और उसे अनुमोदित करेगा ; धारा 11 की उपधारा (4) का उपांतरण, राष्ट्रीय योजना का क्रमशः प्रत्येक तीन वर्ष तथा पांच वर्षों में न्यूनतम एक बार पुनर्विलोकन तथा अद्यतन, करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9 क्रमशः "राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" और "ऋण पुनः संदाय में राहत आदि" से संबंधित धारा 12 और धारा 13 का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 10 धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख) को, राज्य प्राधिकरण की राज्य योजना की तैयारी के समन्वयन के कार्य को समनुदेशित करने के लिए, उपांतरित करता है ; धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (कग) को, क्रमशः जिला प्राधिकरण तथा शहरी प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी जिला योजना और शहरी योजना के अनुमोदन की भूमिका राज्य प्राधिकरण को समनुदेशित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है, तथा धारा 18 की उपधारा (2) के नए खंड (झ) से खंड (त) को, राज्य कार्यकारिणी समिति के कार्यों से संबंधित नीति, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांत समनुदेशित और राज्य प्राधिकरण को नए कार्य समनुदेशित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 11 "राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" से संबंधित धारा 19 का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 12 धारा 20 की उपधारा (2) के नए खंड (ग) को, राज्य पुलिस के महानिदेशक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, के सदस्य पदेन बनाने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 13 धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ग), खंड (झ), खंड (ट) और खंड (न) का लोप करता है चूंकि ये कार्य राज्य प्राधिकरण को अंतरित किए जा चुके हैं ; और धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ञ) और खंड (ड) में शहरी प्राधिकरण से संबंधित कतिपय शब्दों का अन्तःस्थापन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 14 धारा 23 की उपधारा (2) और उपधारा (3) को राज्य प्राधिकरण की राज्य योजना का समन्वयन, तैयारी और अनुमोदन समनुदेशित करने के लिए प्रतिस्थापित करता है ; धारा 23 की उपधारा (4) के खंड (क) को राज्य योजना में राज्य के विभिन्न भागों के परिसंकट और भेद्यता प्रोफाइल को सम्मिलित करने के लिए, प्रतिस्थापित करता है तथा धारा 23 की उपधारा (5) को, प्रत्येक तीन वर्ष तथा पांच वर्ष में न्यूनतम एक बार राज्य योजना के पुनर्विलोकन और अद्यतन करने के लिए प्रतिस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 15 धारा 24 के खंड (ङ), "किसी जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् के "किसी शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है तथा यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 17 धारा 31 की उपधारा (4) का उपांतरण करता है जिससे कि यदि आवश्यक हो, दो वर्ष में एक बार या पूर्वतर जिला योजना के पुनरीक्षण की आवर्तिता को बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 18 धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) का उपांतरण करता है जिससे कि धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जा सके, चूंकि ये कार्य धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन आते हैं ;

तथा धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (जक) को, विभिन्न परिसंकटों की मॉनिटरी, पूर्व चेतावनी आदि के लिए उत्तरदायित्व समनुदेशित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को अधिसूचित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 19 धारा 36 के खंड (च) का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्यों को स्पष्ट रूप से पृथक करने के लिए प्रतिस्थापन करता है ; और धारा 36 के खंड (छ) के उपखंड (v) के पश्चात् खंड (vi), (vii) और (viii) को, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के कतिपय उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की ओर अन्तरित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 20 अन्य बातों के साथ, धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (झक) को, राज्य विनिर्दिष्ट परिसंकटों के लिए मॉनिटरी, पूर्व चेतावनी आदि के लिए उत्तदायित्व समनुदेशित करन के लिए राज्य विनिर्दिष्ट परिसंकट-बार नोडल विभागों को अधिसूचित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ; तथा धारा 38 की उपधारा (2) के विद्यमान खंड (ट) का प्रतिस्थापन करता है जिससे कि "पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सहायता" को "पुनःनिरोग और पुनर्निर्माण सहायता" में परिवर्तित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 21 अन्य बातों के साथ, धारा 39 के खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में "शहरी प्राधिकरण" शब्दों का अन्तःस्थापन करता है और यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 22 धारा 41 की उपधारा (1) में खंड (घ) के पश्चात् नया खंड, शहरी प्राधिकरण की आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी से संबंधित कृत्यों को समनुदेशित करने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 23 नई धारा 41क, राज्य सरकारों को राज्य राजधानीयों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न शहर जिनमें नगर निगम हैं, उनकी संरचना, कार्यों और उनके सचिवालयों के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 24 धारा 43 जो "राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ और सलाहाकारों तथा केंद्रीय सरकार को उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों को विहित करने के लिए सशक्त बनाने" से संबंधित है, का प्रतिस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 25 अध्याय 8 के शीर्ष "आपदा मोचन बल" का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 26 धारा 44क को, राज्य की आपदा मोचन सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल गठित करने में समर्थ बनाने के लिए, अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 27 धारा 46 की उपधारा (1) में कतिपय शब्दों को, जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा

मोचन निधि के गठन के संबंधित है, प्रतिस्थापित करता है ; और धारा 46 की उपधारा (2) का, मोचन निधि के उपयोजन में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका को दिखाने के लिए, और प्रतिस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 28 धारा 47 की उपधारा (1) में आपदा शमन आवश्यकताओं से संबंधित कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन करता है ; और धारा 47 की उपधारा (2) का, शमन निधि के उपयोजन में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका को दिखाने के लिए, और प्रतिस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 29 धारा 48 की उपधारा (2) को राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा शमन निधि के उपयोजन में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका को दिखाने के लिए, प्रतिस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 30 धारा 50 में "अथवा जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "अथवा शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है तथा उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 31 धारा 51 के खंड (क) और (ख) में "अथवा जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "अथवा शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है तथा उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 32 धारा 52 में कतिपय शब्दों के स्थान पर "जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करता है तथा उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 33 धारा 56 को धारा 56 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित करता है ; और आगे धारा 56 में उपधारा (2) का, राज्य सरकार को स्वयं या केंद्रीय सरकार के निदेशों पर आपदा के दौरान कर्तव्य की अवज्ञा या अवहेलना के आधार पर किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने, यह भी उपबंध किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के साथ असंगत नहीं होगी, का और अन्तःस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 34 अंक "56" को "धारा 56 की उपधारा (1)" के साथ प्रतिस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 35 धारा 60 के खंड (क) और खंड (ख) में "जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 36 नई धारा 60क का, आपदा के समाघात में कमी के लिए किसी व्यक्ति को कार्रवाई करने या कार्रवाई से दूर रहने का निदेश तथा दस हजार रूपए से अनाधिक शास्ति अधिरोपित करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु, अन्तःस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 37 धारा 61 में "प्रतिपूर्ति" शब्द का लोप करता है, चूंकि सरकार आपदा के पीड़ितों को केवल राहत प्रदान करती है प्रतिपूर्ति नहीं ।

विधेयक का खंड 38 धारा 63 में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 39 धारा 64 में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 40 धारा 65 की उपधारा (1) में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है ; और उस धारा की उपधारा (3) के खंड (क) को मानव तथा सामग्री संशाधन और उपस्कर सम्मिलित करने के लिए उपांतरित करता है ।

विधेयक का खंड 41 धारा 67 में "या कोई जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "या कोई जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 42 धारा 68 में दोनों स्थानों पर आने वाले "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "या जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 43 धारा 69 में "राज्य कार्यकारिणी समिति" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है जो उन्हें उनके अध्यक्ष को शक्ति प्रत्यायोजित करने में समर्थ करता है ।

विधेयक का खंड 44 धारा 71 में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "या जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 45 धारा 73 में दोनों स्थानों पर आने वाले "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या शहरी प्राधिकरण" शब्द अन्तःस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 46 धारा 74 में "या जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "या जिला प्राधिकरण या शहरी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करता है और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

विधेयक का खंड 47 कतिपय विषयों में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 48 नई धारा 76क का, राष्ट्रीय प्राधिकरण को भी विनियम बनाने के लिए सशक्त करने हेतु, अन्तःस्थापन करता है ।

विधेयक का खंड 49 धारा 77 में "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" शब्दों के पश्चात् "और राष्ट्रीय प्राधिकरण" शब्द, संसद में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों

को रखने के लिए अन्तःस्थापित करता है ।

विधेयक का खंड 50 राज्य सरकार को कतिपय विषयों में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 51 “कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति” से संबंधित धारा 79 का संशोधन करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) पहले से ही अस्तित्व में हैं। इन निकायों का व्यय वार्षिक सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

2. एनडीएमए और एनआईडीएम के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों और सलाहकारों को देय वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पहले से ही मौजूद हैं और इन प्रावधानों को बिना किसी ठोस परिवर्तन के थोड़ा संशोधित किया गया है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप सरकार के नियमत वैधानिक कार्यों के निर्वहन में व्यय हो सकता है, जिसे वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा। हालांकि, इस स्तर पर कोई वितीय निहितार्थ मात्रात्मक नहीं है।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में गठित एनडीएमए और एनआईडीएम के लिए व्यय वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाता रहेगा। वितीय वर्ष 2024-25 में एनडीएमए और एनआईडीएम के लिए बजट आवंटन रु 149.07 करोड़ है। राजस्व शीर्ष के तहत रु 86.24 करोड़, पूंजी शीर्ष के तहत रु 52.37 करोड़ और योजनाओं के तहत रु 10.46 करोड़।

प्रत्यायोजित विधान के विषय में ज्ञापन

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 75, केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा [आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का खंड 47] का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निम्नलिखित विषयों के लिए नियम बनाया जा सके, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति द्वारा धारा 8क की उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण को सशक्त करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों से संगत विनियम बनाने के लिए भी तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उसके अधीन नियम बनाने के लिए विधेयक के खंड 48 द्वारा अधिनियम में नई धारा 76क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 78 राज्य सरकारों को अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा में [आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का खंड 50] का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निम्नलिखित विषयों के लिए नियम बनाए जा सकें, अर्थात् :—

(क) धारा 41क की उपधारा (6) के अधीन शहरी प्राधिकरण से संबंधित शक्तियां, कृत्य और अन्य विषय ;

(ख) धारा 44क की उपधारा (2) के अधीन राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन की रीति और ऐसे बल के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

4. वह विषय, जिनकी बाबत नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005)2005 का अधिनियम संख्यांक 53(

से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

* * * * * *

(घ) "आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है;

(ङ) "आपदा प्रबन्धन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन हैं—

* * * * * *

)viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;

* * * * * *

(छ) "जिला योजना" से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद् या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियां विनिहित की गई हैं;

(झ) "शमन" से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत हैं;

* * * * * *

(ड) "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ण) "पुनर्निर्माण" से आपदा के पश्चात् किसी सम्पत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है;

* * * * * *

5. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे । राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

6. (1) * * * * * राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय प्राधिकरण,—

* * * * * *

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा;

* * * * * *

(झ) आपदा के निवारण या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

* * * * * *

10. (1) * * * * * राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति—

(क) आपदा प्रबन्धन के लिए समन्वय और मानिटरी निकाय के रूप में कार्य कर सकेगी;

(ख) राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकेगी जिनका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा;

(ग) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और उसे मानिटर कर सकेगी;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

(ङ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी;

(च) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

(छ) मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और उसके शमन के लिए उपायों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी, उपायों के संबंध में मानिटर कर सकेगी, समन्वय

कर सकेगी और निदेश दे सकेगी;

(झ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी, और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी;

(ञ) विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मकारों के लिए आपदा प्रबन्धन के संबंध में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना सकेगी और उनको समन्वित कर सकेगी;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके मोचन के लिए समन्वय कर सकेगी;

(ठ) भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी;

(ड) सरकार के किसी विभाग या अभिकरण से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरणों को ऐसे व्यक्ति या तात्विक संसाधन जो आपातकालीन मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए उसके पास उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ढ) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य प्राधिकरणों, कानूनी निकायों, अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रबन्धन में लगे अन्य व्यक्तियों को सलाह दे सकेगी, सहायता प्रदान कर सकेगी और उनके क्रियाकलापों का समन्वय कर सकेगी;

(ण) राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी या उन्हें सलाह दे सकेगी;

(त) आपदा प्रबन्धन के संबंध में साधारण शिक्षा और जागरुकता का संवर्धन कर सकेगी; और

(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उससे करने की अपेक्षा करे ।

राष्ट्रीय योजना ।

11. (1) * * * * *

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

* * * * * *

(4) राष्ट्रीय योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

* * * * * *

राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

12. राष्ट्रीय प्राधिकरण, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सिफारिश करेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे,—

(i) राहत कैंपों में आश्रयस्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबन्ध;

(iii) जीवन की हानि मद्दे अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मद्दे सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता;

(iv) ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो ।

ऋण प्रतिदाय आदि में राहत ।

13. राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रचंड मात्रा की आपदाओं की दशा में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के प्रतिदाय में राहत या ऐसे रियायती निबंधनों पर, जो उचित हों, नए ऋण देने की सिफारिश कर सकेगा ।

* * * * * *

राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण,—

* * * * * *

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन कर सकेगा;

* * * * * *

राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।

19. राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों का उपबंध करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करेगा :

परंतु ऐसे मानक किसी भी दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होंगे ।

राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन ।

20. (1) * * * * *

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

* * * * * *

(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभागों के चार सचिव जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, पदेन ।

* * * * * *

राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य ।

22. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य कार्यकारिणी समिति–

(क) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानिटरी कर सकेगी;

* * * * * *

(ग) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

(घ) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरी कर सकेगी;

* * * * * *

(झ) आपदाओं के ऐसे रूपों के संबंध में, जिनसे राज्य के विभिन्न भाग भेद्य हैं, सामान्य शिक्षा, जागरुकता और समुदाय प्रशिक्षण का संवर्धन कर सकेगी और ऐसे उपाय, जो आपदा के निवारण और ऐसी आपदा के शमन और मोचन के लिए ऐसे समुदाय द्वारा किए जा सकेंगे;

(ञ) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगी, उनके क्रियाकलापों में सहायता कर सकेगी और उनका समन्वय कर सकेगी;

(ट) उनके कृत्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिला प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगी या सलाह दे सकेगी;

* * * * * *

(ड) राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में सन्निर्माण की परीक्षा कर सकेगी और यदि उसकी यह राय है कि आपदा के निवारण के लिए ऐसे सन्निर्माण के लिए अधिकथित मानकों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकेगी जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(ढ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकेगी;

* * * * * *

राज्य योजना ।

23. (1) * * * * *

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा परामर्श करने के पश्चात् जिसे राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, राज्य योजना तैयार की जाएगी ।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई राज्य योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(4) राज्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित होगा,—

(क) आपदा के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता;

* * * * * *

(5) राज्य योजना प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और अद्यतन की जाएगी ।

* * * * * *

आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य ।

24. आपदा द्वारा प्रभावित समुदाय की सहायता और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए या किसी आपदा की आशंका की स्थिति का निवारण करने या उसके विनाश का प्रत्युपाय करने या उसके प्रभावों से निपटने के प्रयोजन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति,—

* * * * * *

(ङ) राज्य सरकार के संबंधित विभाग और राज्य की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जिला प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए बचाव, निष्क्रमण या तत्काल राहत पहुंचाने के ऐसे उपाय करने या कार्रवाई करने के निदेश दे सकेगी; जो उसकी राय में आवश्यक हों;

* * * * * *

अध्याय 4

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन ।

25. (1) * * * * *

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

* * * * * *

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

* * * * * *

जिला योजना ।

31. (1) * * * * *

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

* * * * * *

अध्याय 5

आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय

केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय ।

35. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उस उपधारा के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात्:–

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वयन करना;

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण

को सुनिश्चित करना;

* * * * * *

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी आपदा की आशंका या आपदा के त्वरित और प्रभावी मोचन तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करते हैं;

* * * * * *

भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व ।

36. भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह—

* * * * * *

(च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करे—

(i) आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन, तैयारी और मोचन योजनाएं तैयार करना, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और कार्मिकों की पहचान तथा प्रशिक्षण;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य करना;

(iii) किसी आपदा से क्षति का निर्धारण;

(iv) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना;

* * * * * *

राज्य सरकार द्वारा उपाय करना ।

38. (1) * * * * *

(2) उन उपायों के अंतर्गत जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय;

(ख) आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य प्राधिकरण और राज्य कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरणों को सहयोग और उनकी सहायता;

* * * * * *

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए राज्य योजना तथा जिला योजनाओं के उपबंधों के अनुसार उपायों के लिए निधियों का आबंटन;

* * * * * *

(झ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्राधिकरण समुचित तैयारी के लिए उपाय करें;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराए गए हैं;

(ट) किसी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और उन्हें पुनर्निर्माण में सहायता देना;

* * * * * *

राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व ।

39. राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

* * * * * *

(च) निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरणों द्वारा, यथा अपेक्षित, सहायता प्रदान करे,—

(i) शमन, तैयारी और मोचन, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और आपदा प्रबंधन के संबंध में कर्मचारिवृंद की पहचान और उनके प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) किसी आपदा से नुकसान का निर्धारण करना;

(iii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना;

(छ) जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श से संसाधनों की व्यवस्था करे;

(ज) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरणों को राज्य में किसी आपदा की तत्परता से प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपाय करना भी है, अपने संसाधन उपलब्ध कराए—

(i) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे बाहर परिवहन प्रदान करना;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य तत्काल राहत प्रदान करना;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के किसी क्षेत्र से व्यक्तियों या पशुओं का निष्क्रमण करना;

(v) अस्थायी पुल, घाट या हवाई पट्टियां स्थापित करना;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना;

* * * * * *

अध्याय 6

स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य ।

41. (1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए,—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा ।

* * * * * *

राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

43. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

* * * * * *

अध्याय 9

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि ।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे;

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जाएगी ।

राष्ट्रीय आपदा शमन निधि ।

47. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें ऐसी रकम जमा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे ।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का उपयोजन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

राज्य सरकार द्वारा निधियों

48. (1) * * * * *

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि–

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित निधियां राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध हैं; की स्थापना ।

(ii) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित निधियां राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध हैं;

(iii) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियां जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं ।

* * * * * *

आपात उपापन और लेखा-जोखा ।

50. जहां किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के कारण, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बचाव या राहत के लिए रसद या सामग्री का तत्काल उपापन या संसाधनों का तत्काल उपयोजन आवश्यक है वहां,—

(क) वह संबद्ध विभाग या प्राधिकारी को उपापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी दशा में, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित मानक प्रक्रिया का त्यजन किया गया समझा जाएगा;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी द्वारा रसद या सामग्री के उपयोजन के बारे में प्रमाणपत्र ऐसी रसद या सामग्री के आपात उपापन के लेखा-जोखा प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेज या बीजक माना जाएगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

बाधा डालने, आदि के लिए दंड ।

51. जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

मिथ्या दावे के लिए दंड ।

52. जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके

पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी ।

59. धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

60. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा,—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।

* * * * * *

अध्याय 11

प्रकीर्ण

विभेद का प्रतिषेध ।

61. आपदा के पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और राहत देते समय लिंग, जाति, समुदाय, उद्भव या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शक्तियां ।

63. संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या ऐसी किसी समिति या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस समिति या प्राधिकरण या उस व्यक्ति को, आपदा के निवारण या उसके शमन या बचाव या राहत कार्यों के संबंध में कोई कृत्य करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनके लिए अनुरोध किया गया है ।

कतिपय परिस्थितियों में नियम, आदि बनाना या उनमें संशोधन करना ।

64. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आपदाओं के निवारण या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधि में उपबंध करना या उनमें संशोधन करना अपेक्षित है तो वह उस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियमों, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधियों में संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा और समुचित विभाग या प्राधिकारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों,

65. (1) यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला

रसद, यानों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति ।

प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि,—

(क) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के पास किन्हीं संसाधनों की तत्काल भेजने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है;

(ख) बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है; या

(ग) आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों के परिवहन या प्रभावित क्षेत्र को संसाधनों के परिवहन या बचाव, पुनर्वास या पुनः सन्निर्माण के संबंध में परिवहन के प्रयोजनों के लिए किसी यान की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता संभावित है,

तो ऐसा प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संसाधनों या परिसरों या ऐसे यान की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे और आदेश भी कर सकेगा जो उसे अध्यपेक्षा के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

* * * * * *

(3) इस धारा में,—

(क) "संसाधन" के अन्तर्गत मानव और सामग्री संसाधन हैं;

* * * * * *

चेतावनी, आदि की संसूचना के लिए मीडिया को निदेश ।

67. राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या कोई जिला प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी श्रव्य या श्रव्य-दृश्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की बाबत किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध हों, निदेश देने की सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और यथा अभिहित मीडिया ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

आदेशों या विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ।

68. राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य प्राधिकरण या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत हों ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

69. यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

* * * * * *

न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

71. किसी न्यायालय को (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके

अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदेश या मार्ग निदेशन के संबंधों में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

* * * * * *

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई ।

73. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसी सरकार या प्राधिकरण के निमित्त कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे प्राधिकरण या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति ।

74. केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय क्षमता में उनके द्वारा संसूचित या प्रसारित किसी आसन्न आपदा की बाबत, ऐसी संसूचना या प्रसारण के अनुसरण में उनके द्वारा की गई कार्रवाई या जारी निदेश की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्त रहेंगे ।

* * * * * *

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

77. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम या विनियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि, ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

* * * * * *